

प्रेषक,

उप शिक्षा अधिकारी,  
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

रोवा में,

प्रधानाचार्य,  
कुमॉऊ पब्लिक स्कूल  
मल्ली मिरई द्वाराहाट।

पत्रांक २१०-१३/ विविध / 2021-22/

दिनांक 29 जून, 2021।

विषय— औपबन्धिक मान्यता विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, कुमॉऊ पब्लिक स्कूल मल्ली मिरई द्वारा अपने कार्यालयी पत्र संख्या 465 / के०पी०ए०० / 2021-22 / दिनांक 28 जून, 2021 में किये गये अनुरोध के क्रम में कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी, द्वाराहाट के अभिलेखानुसार यह प्रमाणित किया जाता है, कि कुमॉऊ पब्लिक स्कूल मल्ली मिरई द्वाराहाट द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 1C तहत अपवंचित, कमज़ोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को अपने विधालय की निम्नवत् कक्षा में प्रवेश दिया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र / कार्यालयी पत्र इनको केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑनलाइन औपबन्धिक मान्यता आवदेन पत्र अग्रसारण हेतु प्रदाना किया जाता है।

भवदीय

०५-०८/२१६/२५  
(डी०एल०आर्या)  
उप शिक्षा अधिकारी,  
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)

पत्रांक २१०-१३ / विविध / 2021-22 / दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०, अल्मोड़ा।
3. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

०५-०८  
(डी०एल०आर्या)  
उप शिक्षा अधिकारी,  
द्वाराहाट (अल्मोड़ा)